COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना ।

2. संगम का ज्ञापन ।

3. रजिस्ट्रीकरण और फीस ।

4. प्रबन्ध निकाय की वार्षिक सूची का फाइल किया जाना ।

5. सोसाइटी की सम्पत्ति कैसे निहित होगी ।

6. सोसाइटियों द्वारा या उनके खिलाफ वाद ।

7. वादों का उपशमन न होना ।

8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन ।

9. उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली ।

10. सदस्यों, का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाए जाने के दायित्वाधीन होना ।

सफल प्रतिवादी द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों की वसूली ।

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना ।

12. सोसाइटियों को अपने प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने के लिए समर्थ बनाना ।

13. सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध ।

14. विघटन पर किसी सदस्य का लाभ प्राप्त न करना ।

खण्ड का संयुक्त स्टाक कम्पनियों को लागू न होना ।

15. सदस्य की परिभाषा/ सदस्यों की अनर्हता ।

16. शासी निकाय की परिभाषा ।

17. अधिनियम से पूर्व बनाई गई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण ।

अनुमति की अपेक्षा ।

18. ऐसी सोसाइटियों द्वारा संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिसट्रार के पास ज्ञापन आदि का दाखिल किया जाना ।

19. दस्तावेजों का निरीक्षण । प्रमाणित प्रतियां ।

20. अधिनियम किन सोसाइटियों को लागू होता है ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860[1]

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1860 का अधिनियम संख्यांक 21)

[21 मई, 1860]

साहित्यिक, वैज्ञानिक और पूर्त सोसाइटियों
के रजिस्ट्रीकरण के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए, [2][राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए] अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिए उपबन्ध किया जाए; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना—किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया है ।

यह अधिनियम (प्रथम चार धाराओं के अपवाद सहित) लिटरेरी एण्ड साइन्टिफिक इन्स्टीट्यूशन्स ऐक्ट, 1854 (विक्टोरिया 17 तथा 18, अध्याय 112) की धारा 20 और इसके पश्चात्वर्ती शब्दों तथा पृष्ठों पर आधारित है ।

इसे विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा अनुसूचित जिलों के सिवाय सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त घोषित किया गया है ।

इस अधिनियम का नए प्रान्तों तथा विलयित राज्यों पर विस्तार 1949 के अधिनियम सं० 59 द्वारा किया गया है ।

इसे अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् :—

पश्चिमी जलपाईगुड़ी, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1881, भाग 1, पृष्ठ 74 ।

हजारी बाग और लोहारडागा (अब रांची जिला, देखिए कलकत्ता राजपत्र (अंग्रेजी), 1899, भाग 1, पृष्ठ 44) तथा मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में परगना डालभूम और कोलहान, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 ।

मिर्जापुर जिले का अनुसूचित भाग; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1879, भाग 1, पृष्ठ 383 ।

जोनसर बावर; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1879, भाग 1, पृष्ठ 302 ।

गंजम और विजगापट्टम में अनुसूचित जिले; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1898, भाग 1, पृष्ठ 870 ।

असम (उत्तरी लुशाई पहाड़ियों के सिवाय); देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1897, भाग 1, पृष्ठ 299 ।

इसका विस्तार निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर अन्तिम वर्णित अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है, अर्थात् :—

कुमाऊं और गढ़वाल; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1876, भाग 1, पृष्ठ 606 ।

अजमेर और मेरवाड़; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1878, भाग 1, पृष्ठ 380 ।

इसे उसी अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा लाहौल के अनुसूचित जिले में प्रवृत्त घोषित नहीं किया गया है; देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1886, भाग 1, पृष्ठ 301 ।

इस अधिनियम का विस्तार गोवा, दमण तथा दीव पर उपान्तरों सहित 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, दादरा और नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से); और लक्कादीव संघ राज्यक्षेत्र पर, 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) किया गया है ।

इसका निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधन किया गया है :—

1940 के मध्य प्रान्त तथा बरार अधिनियम सं० 3 द्वारा मध्य प्रान्त तथा बरार में,

1948 के असम अधिनियम सं० 14, 1948 के असम अधिनियम सं० 15, 1952 के असम अधिनियम सं० 1, 1957 के असम अधिनियम सं० 7 और 1958 के असम अधिनियम सं० 11 द्वारा असम में,

1948 के बिहार अधिनियम सं० 30, 1951 के बिहार अधिनियम सं० 4 और 1960 के बिहार अधिनियम सं० 2 द्वारा बिहार में,

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम सं० 32 तथा 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम सं० 6 और 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 21 द्वारा पंजाब में,

1950 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 16 द्वारा पश्चिम बंगाल में,

1954 के राष्ट्रपति के अधिनियम सं० 10 द्वारा आंध्र में,

1960 के मद्रास अधिनियम सं० 9 द्वारा मद्रास में,

1958 के उड़ीसा अधिनियम सं० 21, 1969 के उड़ीसा अधिनियम सं० 8 और 1979 के उड़ीसा अधिनियम सं० 9 द्वारा उड़ीसा में,

1968 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 11 और 1971 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 49 द्वारा महाराष्ट्र में,

1973 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा हिमाचल प्रदेश में,

1959 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 25, 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 52, 1978 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 और 1984 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 11 द्वारा उत्तर प्रदेश में,

1958 के मुम्बई अधिनियम सं० 76 द्वारा मुम्बई में,

1974 के हरियाणा अधिनियम सं० 23 द्वारा हरियाणा में,

1969 के पाण्डिचेरी अधिनियम सं० 9 द्वारा पाण्डिचेरी में,

1983 के अधिनियम सं० 26 द्वारा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में,

1963 के विनियम सं० 7 और अनुसूची द्वारा (1-10-1963 से) यह अधिनियम पाण्डिचेरी में प्रवृत्त हुआ,

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेलारी जिले में और 1960 के मैसूर अधिनियम सं० 17 तथा 1973 के मैसूर अधिनियम सं० 19 द्वारा मैसूर में लागू करने के सम्बन्ध में इसका निरसन किया गया है ।

1960 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 1 द्वारा मध्य प्रदेश के महाकौशल, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में इसका निरसन किया गया है ।

[2] 1927 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।

ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और [1]*** उसे संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

2. संगम का ज्ञापन—संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात् :—

सोसाइटी का नाम;

सोसाइटी के उद्देश्य;

व्यवस्थापकों, परिषद्, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसाइटी के नियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबन्ध सौंपा गया है, नाम, पते और उपजीविकाएं।

सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जो शासी निकाय के सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जाएगी।

[2]**3. रजिस्ट्रीकरण और फीस**—ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किए जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे हर एक रजिस्ट्रीकरण के लिए पचास रुपए की फीस या ऐसी कम फीस, जैसी [3][राज्य सरकार] समय-समय पर निर्दिष्ट करे, संदत्त की जाएगी और ऐसे संदत्त सब फीसों का लेखा [4][राज्य सरकार] को दिया जाएगा।

4. प्रबन्ध निकाय की वार्षिक सूची का फाइल किया जाना—हर वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व, या यदि नियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपबन्ध नहीं है तो जनवरी के मास में, संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जाएगी जिसमें व्यवस्थापकों, परिषद्, निदेशकों, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको सोसाइटी के कामकाज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाएं होंगी।

5. सोसाइटी की सम्पत्ति कैसे निहित होगी—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की स्थावर और जंगम सम्पत्ति यदि न्यासियों में निहित नहीं है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय निहित समझी जाएगी और सभी सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की, उसके उचित अभिधान से सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

6. सोसाइटियों द्वारा या उनके खिलाफ वाद—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी प्रधान, अध्यक्ष या प्रधान सचिव अथवा न्यासियों के नाम में, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए, और ऐसे अवधारण के अभाव में ऐसे व्यक्ति के नाम में, जो उस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाए वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसका सोसाइटी के खिलाफ कोई दावा या मांग हो यह सक्षम होगा कि वह उसके प्रधान या अध्यक्ष या प्रधान सचिव या न्यासियों पर वाद ला सके यदि शासी निकाय को आवेदन करने पर किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्रतिवादी होने के लिए नामनिर्देशित नहीं किया जाता।

7. वादों का उपशमन न होना—किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बन्द नहीं होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ ऐसा वाद या कार्यवाही लाई गई या जारी रखी गई थी, मर गया है, या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी।

8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन—यदि सोसाइटी की ओर से नामित किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम संपत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नहीं किया जाएगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जाएगा।

निष्पादन के लिए आवेदन में, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से, यथास्थिति, वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाए जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जाएगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवर्तित कराया जाए।

---

[1] "1857 के अधिनियम सं० 19 के अधीन" शब्दों तथा अंकों का 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा (16-12-1874 से) निरसन किया गया; अब देखिए कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

[2] सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार विद्या मन्दिर ऐक्ट, 1939 (1940 सी० पी० बरार ऐक्ट सं० 3) की धारा 14 द्वारा बरार में लागू करने के सम्बन्ध में इसका संशोधन किया गया।

[3] "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर अनुक्रमश: भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपान्तरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा यथा उपान्तरित भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

9. उप-विधि के अधीन प्रोद्‌भूत होने वाली शास्ति की वसूली—जब कभी किसी उप-विधि द्वारा, सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्त: बनाई गई हो या यदि नियम उप-विधियां बनाने के लिए उपबन्ध नहीं करते हैं तो किसी ऐसी उप-विधि द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में बनाई गई हो (जिसे बनाने के लिए ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच के सहमति-सूचक मत आवश्यक होंगे), सोसाइटी के किसी नियम या उप-विधि के भंग के लिए कोई धन संबंधी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्‌भूत हो जाए, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता वहां हो जहां प्रतिवादी निवास करता है, या वहां हो जहां सोसाइटी स्थित है, जैसा भी उसका शासी निकाय समीचीन समझे ।

10. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाए जाने के दायित्वाधीन होना—ऐसे सदस्य के खिलाफ जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के नियमों के अनुसार संदत्त करने के लिए आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे निरोध, क्षति या नाश से प्रोद्‌भूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से वाद लाया जा सकेगा ।

सफल प्रतिवादी द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों की वसूली—किन्तु यदि प्रतिवादी सोसाइटी की प्रेरणा पर उसके खिलाफ लाए गए किसी वाद या अन्य कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है; तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद लाया गया था अथवा सोसाइटी से उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्‌वर्ती दशा में वह ऊपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा ।

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना—सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुराएगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विशेषत: नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, बन्धपत्र, धन के लिए प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखत को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जाएं वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्धदोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होगा ।

12. सोसाइटियों को अपने प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने के लिए समर्थ बनाना—जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है, शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किन्हीं अन्य प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णत: या भागत: किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उपयुक्त होगा तब ऐसा शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकेगा;

किन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाए गए विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के हर एक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के तीन बटा पांच के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किए गए हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात्‌ एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाए गए दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच के मतों द्वारा पुष्ट नहीं कर दी जाती ।

13. सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध—किसी सोसाइटी के तीन बटा पांच से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाए और तब वह तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित कर दी जाएगी और सोसाइटी की सम्पत्ति उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए उसको लागू उक्त सोसाइटी के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, और यदि कोई न हों तो जैसा शासी निकाय समीचीन समझे उसके अनुसार सब आवश्यक कार्यवाही की जाएगी परन्तु उक्त शासी निकाय या सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसके कामकाज का समायोजन, उस जिले के, जिसमें सोसाइटी का मुख्य भवन स्थित है, आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा; और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे :

परन्तु कोई सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जाएगी जब तक कि सदस्यों में से तीन बटा पांच ने ऐसे विघटन के लिए इच्छा ऐसे साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो :

परन्तु [1][जब कभी कोई सरकार] इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन [2][रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार की सम्मति के बिना] नहीं किया जाएगा ।

14. विघटन पर किसी सदस्य का लाभ प्राप्त न करना—यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर उसके सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात्‌ कोई भी सम्पत्ति रह जाए तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "जब कभी सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार की सहमति के बिना" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संदत्त या उनमें वितरित नहीं की जाएगी किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी को दी जाएगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच से अन्यून मत द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है; अवधारित की जाए;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

खण्ड का संयुक्त स्टाक कम्पनियों को लागू न होना—परन्तु फिर भी यह खण्ड किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगा जो संयुक्त स्टाक कम्पनी के रूप में शेयर धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो।

15. सदस्य की परिभाषा/ सदस्यों की अनर्हता—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्यों की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिए हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पदत्याग न किया हो; किन्तु इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जिसका चन्दा उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नहीं होगा।

16. शासी निकाय की परिभाषा—व्यवस्थापक परिषद्, निदेशक, समिति, न्यासी या अन्य निकाय जिसको सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबन्ध सौंपा गया हो, सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

17. अधिनियम से पूर्व बनाई गई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण—साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित और [1]1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी या सोसाइटी को अथवा इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व स्थापित और गठित किन्तु उक्त [1]1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई ऐसी किसी सोसाइटी की इसके पश्चात् किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्टर की जा सकेगी;

अनुमति की अपेक्षा—परन्तु इसके होते हुए कि ऐसी किसी कम्पनी या सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्री नहीं की जाएगी जब तक कि उसके ऐसे रजिस्ट्री किए जाने के लिए अनुमति, शासी निकाय द्वारा उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए किसी साधारण अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों में से तीन बटा पांच द्वारा नहीं दे दी जाती।

[1]1850 के अधिनियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी या सोसाइटी की दशा में निदेशकों को ऐसा शासी निकाय समझा जाएगा।

ऐसे रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिए यह सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय स्वयं बना लें।

18. ऐसी सोसाइटियों द्वारा संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास ज्ञापन आदि का दाखिल किया जाना—ऐसी किसी सोसाइटी के लिए जैसी अन्तिम पूर्वगामी धारा में वर्णित है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री अभिप्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि शासी निकाय, [2]*** संयुक्त स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी का नाम, सोसाइटी के उद्देश्य और शासी निकाय के नाम, पते और उपजीविकाएं दर्शित करने वाला एक ज्ञापन सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो धारा 2 में उपबन्धित रूप में प्रमाणित हो और उस साधारण अधिवेशन की जिसमें रजिस्ट्रीकरण का संकल्प किया गया था, कार्यवाहियों की रिपोर्ट की एक प्रति सहित दाखिल करे।

19. दस्तावेजों का निरीक्षण। प्रमाणित प्रतियां—कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण, हर निरीक्षण के लिए एक रुपए की फीस देकर, कर सकेगा; और कोई भी व्यक्ति, किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिए दो आने देकर अपेक्षित कर सकेगा; और ऐसी प्रमाणित प्रति, सभी विधि-कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथमदृष्ट्या या साक्ष्य होगी।

20. अधिनियम किन सोसाइटियों को लागू होता है—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी :—

> पूर्त सोसाइटियां, भारत की विभिन्न-प्रेसिडेन्सियों में स्थापित सैनिक अनाथ निधियां या सोसाइटियां, विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए शिक्षण उपयोगी जानकारी के प्रसार, [3][राजनीतिक शिक्षा के प्रसार], सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखतों, या अभिकल्पनाओं के लिए स्थापित सोसाइटियां।

———

[1] भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1866 (1866 का 10) की धारा 219 और अनुसूची 3 द्वारा निरसित। अब देखिए कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

[2] "1857 के अधिनियम सं० 19 के अधीन" शब्द और अंक, 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा निरसित—अब देखिए कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

[3] 1927 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा (22-09-2019 से) अन्त:स्थापित।